न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 234/2017

1. कैलाशचन्द पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नलू, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र श्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 31/05/2022

उपस्थितः श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर — प्रार्थी अभिभाषक

श्री श्याम मनोहर पुरोहित — अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के संयुक्त अधिकार, खातेदारी, आधिपत्य की कृषि भूमि ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 किस्म गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 कुल किता 2 कुल रकबा 09–14–00 भूमि वाकै ग्राम नलू में स्थित है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त गै0मु0 चाह के आप–पाश से उपरोक्त ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 में प्रार्थी के 1/2 हिस्से में व्यवधान उत्पन्न कर काश्त कार्यो में बाधा करता है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से, अधिकार की भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर पा रहा है तथा अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी उसके परिवारजन के काश्त कार्यो में बाधा करता है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं के नाम से उपरोक्त गै0मु0 चाह पर विद्युत संबंध प्राप्त किया है। जिसका 1/2 खर्चा प्रार्थी ने वहन किया है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में निहित स्वयं के सह खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाकर, खाता–खसरा कायम करवाने तथा गै0मु0 चाह का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

हिस्सोनुसार ओसारा कायम करवाने का अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि का नींव–रींव से विभाजन करवाने हेतु दिनांक 20.11.2017 को आग्रह किया तो अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी से आमादा फसाद होकर विभाजन करवाने से इन्कार हो गया तथा प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बलात् बेदखल करने हेतु उद्यत हो गया। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 आपस में सगे भाई है, इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 के नाम विद्युत संबंध लेने में समान रूप से राशि व्यय वहन कर उपरोक्त संबंधित अप्रार्थी सं0 1 के नाम प्राप्त किया है। गै0मु0 चाह में भी प्रार्थी का भी हिस्सा, अधिकार अन्तरनिहित है। जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि के काश्त का अधिकार रहता है। अप्रार्थी सं0 1 बिना कारण के प्रार्थी के काश्त कार्यो में एवं उपरोक्त गै0मु0 चाह में आप पाश से बाधा करते है। जिसका अप्रार्थी सं0 1 को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि, प्रार्थना पत्र पैरा सं0 2 में वर्णित ग्राम नलू स्थित भूमि ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 किस्म गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 भूमि में प्रार्थी के निहित 1/2 हिस्से अधिकार की भूमि में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी के आप–पाश, काश्त कार्यो में बाधा नहीं करे, प्रार्थी को बलात बेदखल नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्याम मनोहर पुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 को समुचित अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर दिनांक 14.01.2020 को उनका जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 गै0मु0 चाह के आप–पाश से ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 में प्रार्थी के 1/2 हिस्से में व्यवधान उत्पन्न कर काश्त कार्यो में बाधा करता है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से, अधिकार की भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण स्वंतंत्र रूप से विकास नहीं कर पा रहा है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथा अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी उसके परिवारजन के काश्त कार्यो में बाधा करता है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं के नाम से उपरोक्त गै0मु0 चाह पर विद्युत संबंध प्राप्त किया है। जिसका 1/2 खर्चा प्रार्थी ने वहन किया है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में निहित स्वयं के सह खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाकर, खाता–खसरा कायम करवाने तथा गै0मु0 चाह का हिस्सेनुसार ओसरा कायम करवाने का अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि का नींव–सींव से विभाजन करवाने हेतु दिनांक 20.11.2017 को आग्रह किया तो अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी से आमादा फसाद होकर विभाजन करवाने से इन्कार हो गया तथा प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बलात् बेदखल करने हेतु उद्दत हो गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, प्रार्थना पत्र पैरा सं0 2 में वर्णित ग्राम नलू स्थित भूमि ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 किस्म गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 भूमि में प्रार्थी के निहित 1/2 हिस्से अधिकार की भूमि में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी के आप–पाश, काश्त कार्यो में बाधा नहीं करे, प्रार्थी को बलात बेदखल नहीं करे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है। प्रार्थी का यह कथन कि "अप्रार्थी सं0 1 ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 गै0मु0 चाह के आप–पाश से ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 में प्रार्थी के 1/2 हिस्से में व्यवधान उत्पन्न कर काश्त कार्यो में बाधा करता है।" बिल्कुल गलत है, अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं गै0मु0 चाह के ओसरे अनुसार सिंचाई के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं किया गया है एवं ना ही दिनांक 20.11.2017 को प्रार्थी द्वारा भूमि विभाजन बाबत् कोई आग्रह किया गया था। यह सही है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में निहित स्वयं के सह खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाकर, खाता–खसरा कायम करवाने तथा गै0मु0 चाह का हिस्सेनुसार ओसरा कायम करवाने का अधिकार है एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अंकित हिस्से अनुसार विभाजन करने के आदेश पारित किये जाते है तो अप्रार्थी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को ग्राम नलू स्थित वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1044 रकबा 00–09–00 किस्म गै0मु0 चाह एवं ख0नं0 1045 रकबा 09–05–00 कुल किता 2 कुल रकबा 09–14–00 भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)